

FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम- 26)

अदालतसहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), गुड़ामालानी.....

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सीला पुत्री रामकिशन 2. उर्मिला पुत्री रामकिशन 3. विकाश पुत्र रामकिशन (नाबालिग की कुदरती वालिदा माता रूपादेवी पत्नी रामकिशन) जाति विश्‍नोई निवासी देशांतरी नाडी आदर्श सोनडी तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर		1. रामकिशन पुत्र खीयाराम वगैरा (10) 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी

किस्म मुकदमा.....धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मु0नं0...186 / 22.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.09.2022	<p>प्रार्थीगण सीला वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री रामजीवन किंनोई द्वारा विप्रार्थीगण रामकिशन वगैरा के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 212 का पेश किया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया।</p> <p>वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 40, 207 राजस्थान कस्तकारी अधिनियम एवं धारा 6 व 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम का तहसील गुड़ामालानी के पटवार क्षेत्र नगर के राजस्व ग्राम देशन्तरी नाडी के खेत खसरा नम्बर 264, 265 रकबा कम्प: 0.1295, 204447 हैक्टेयर की पैतृक खातेदारी में पैतृक हिस्सा घोषित कराने का पेश किया है। प्रार्थीगण विप्रार्थी संख्या 1 के जायन्दा सन्तान है, उक्त भूमि विप्रार्थी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त होने से प्रार्थीगण के हक जन्म से ही उक्त आराजी में निहित है, अपने हक-हिस्सनुसार काबिज कस्त हैं, परन्तु विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थीगण को उनके पैतृक हकों से महरूम करने के लिये प्रार्थीगण के हक-हिस्से की भूमि को बेचान करने पर आमादा है, तथा विप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी के पैतृक हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने की धमकिया दे रहा हैं, मूल वाद के निस्तारण में समय लगना सम्भव है, अतः दौराने दावा विरुद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।</p> <p>हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री रामजीवन किंनोई की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड अनुसार विवादित आराजी पैतृक होने की पुष्टि होती है। भूमि पैतृक होने से प्रार्थीगण के उक्त आराजी में हक निहित हैं, जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में निहित है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख पेशी तक विप्रार्थी संख्या 01 को इस अशय की अस्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि तहसील गुड़ामालानी के पटवार क्षेत्र नगर के राजस्व ग्राम देशन्तरी नाडी के खेत खसरा नम्बर 264, 265 रकबा कम्प: 0.1295, 204447 हैक्टेयर की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें। वकील प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित करें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 11.11.2022 को पेश हो।</p>	<p>प्रतिलिपि :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. तहसीलदार गुड़ामालानी 2. प्रार्थीगण / विप्रार्थीगण

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

पत्रावली के अंशों को पेश करने के लिए

मुख्य कार्यवाही मय इनिशियल जज

न्याय या तारीख अद्यकाल
जो इस दृश्य की तारीख
में जारी है

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्राथमिक उपस्थित।
वकील प्राथमिक विप्राथमिक के समान डाक द्वारा
आज के एक और अपसर-वाहते हैं। अंतः
अपसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक
14/7/23 को पेश हो



सहायक कलक्टर
मुंबई

14/7/23

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त हैं। अतः इलतवा होकर
पत्रावली आइन्दा 25/8/23 को पेश हो।

25/8/2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्राथमिक उपस्थित।
वकील प्राथमिक विप्राथमिक के समान डाक द्वारा
आज के एक और अपसर-वाहते हैं। अंतः
अपसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 23/10/23
को पेश हो


सहायक कलक्टर
मुंबई

23/10/23

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त हैं। अतः इलतवा होकर
पत्रावली आइन्दा 26/11/23 को पेश हो।

26/11/24

पत्रावली पेश हुई।
आज हम दीगर आवश्यक कार्यों
में व्यस्त हैं। अतः इलतवा होकर
पत्रावली आइन्दा 31/12/24 को पेश हो।

31/04/24

पत्रावली आज पेश हुई। प्राथमिक व विप्राथमिक
के अधिवक्ता उपस्थित। अंतः इस दिनांक
वाकिल अंतः दिनांक के प्राथमिक व विप्राथमिक
के अधिवक्ता उपस्थित। अतः इस न्यायालय
द्वारा जारी कौतुहिल विधि धारणा दि 27/05/22
निरस्त की जाकर उक्त उक्त प्रकरण
प्राथमिक की डाक डाकरी व उक्त डाकरी
में शकित किया जाता है। पत्रावली निर्णय
उक्त होकर हाथिल अपसर हो

